न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 8/2020
3. उनवान :सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. मैसर्स शर्मा नमकीन भण्डार, दुकान नं 414, रामगंज चौपड के पास, अनाज मण्डी, जयपुर।
2. श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा, निवासी 1282, निवाई महन्त का रास्ता, रामगंज बाजार जयपुर मालिक फर्म।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, फर्द सुपुर्दगीनामा, की प्रति आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दिनांक 12.10.2012 को घरेलू गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर मैसर्स शर्मा नमकीन भण्डार, दुकान नंबर 414, रामगंज चौपड के पास, अनाज मण्डी, जयपुर की जांच की गई। मौके पर फर्म मालिक श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित मिले। मौके पर दौराने निरीक्षण प्राप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर (2 बीपीसी+1आईओसी), जिसमें 22.800 किग्रा शुद्ध एलपीजी एवं एक रेग्यूलेटर मय रबर पाईप को जब्त किया गया। मौके पर गैस कनेक्शन सम्बन्धी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि अप्रार्थी की दुकान व घर एक ही जगह है। नीचे दुकान और ऊपर मकान है। उक्त दुकान से जो सिलेण्डर जब्त किये गये हैं, वे मेरे घर के ही हैं। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी का जवाब व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2012 को 03 घरेलू गैस सिलेण्डर (2 बीपीसी+1 आईओसी), जिसमें 22.800 किग्रा शुद्ध एलपीजी एवं एक रेग्यूलेटर मय रबर पाईप जब्त किये गये। मौक पर जांच करने पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग भट्टीयों पर किया जा रहा था। जिस पर समोसे पकोडे बनाने का कार्य हो रहा था। इससे पुष्ट है कि घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक उपयोग हो रहा था। मौके पर गैस कनेक्शन सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर, अवैध रूप से सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के खण्ड 3 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थी ने अपने जवाब के संलग्न भी सिलेण्डरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान 03 घरेलू गैस सिलेण्डर (2 बीपीसी+1आईओसी), जिसमें 22.800 किग्रा शुद्ध एलपीजी एवं एक रेग्यूलेटर मय रबर पाईप को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर